न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 268--दा/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 17--1--08 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 1143/अपील/05--06.

1- अनीत कुमार तनय रामजी मिश्रा
2- राजेन्द्र कुमार तनय लालजी मिश्रा
दोनों निवासी ग्राम भितरी तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म.प्र. ------आवेदकगण

विरूद्ध

मनरजुआ पुत्री उदेत नारायण ब्रा पत्नी मोतीलाल
निवासी ग्राम भितरी तहसील रामपुर नैकिन
जिला सीधी म.प्र. ------ अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री के. के. द्विवेदी, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10 जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1143/अपील/05--06 में पारित आदेश दिनांक 17--1--08 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय मे बदोवस्त में हुई त्रुटि के सुधार हेतु संहिता की धारा 89 के तहत आवेदन प्रस्तुत कियागया जो उन्होंनेआदेश दिनांक 10--4--2001 द्वारा स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों द्वारा अपर कलेक्टर न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 15--9--06 द्वारा अग्राह्य की । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3-- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि यह प्रकरण बंदोवस्त के दौरान हुई त्रुटि के सुधार से संबंधित है । बंदोवस्त की त्रुटि को सुधारने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं है बल्कि यह अधिकार कलेक्टर का है।

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से कार्यवाही की जाकर आदेश पारित किया गया है जिस नोटिस के आधार पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है उसके एक गवाह द्वारा शपथपत्र दिया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कथन किया है उसके समक्ष नोटिस की कोई तामील नहीं की गई । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिकाओं से स्पष्ट है कि उसमें कांटछांट की गई है । पहले प्रकरण दिनाक 3-4--2001 को नियत किये जाने का उल्लेख है बाद में अनावेदिका की उपस्थिति का उल्लेख करते हुए आवेदको के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण आदेशार्थ रखा गया है । जबकि आदेश पत्रिका में अनावेदिका के हस्ताक्षर नहीं है इससे अनुविभागीय अधिकारी की उक्त कार्यवाही अपने आप में संदिग्ध हो जाती है । यह भी कहा गया कि आवेदकों द्वारा कोई सहमति नहीं दी गई है और ना ही सहमति पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं । उक्त आधारों पर उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

4-- अनावेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अवेदकों पर तामील गवाहों के समक्ष की गई है । तामील पर आवेदकों एवं गवाहों के हस्ताक्षर हैं । एकपक्षीय कार्यवाही को क्षमा करने का कोई आवेदन नहीं दिया गया । मूल आवेदन कलेक्टर को दिया गया था ना कि अनुविभागीय अधिकारी को । प्रकरण में सीमांकन भी हुआ है जिसका प्रकरण अपर आयुक्त के न्यायालय में लंबित है। प्रकरण में तीनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिन्हें स्थिर रखा जाना चाहिए ।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बंदोवस्त में हुई त्रुटि के सुधार का है । अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका दिनाक 20.2.01 में अनावेदक के पुत्र के उपस्थित होने तथा अनावेदक को तलब करने एवं पटवारी से प्रतिवेदन बुलाए जाने का उल्लेख है और प्रकरण 3-3-01 के लिए नियत किया है । दिनाक 3-3-01 की आदेश पत्रिका में पीठसीन अधिकारी के मजेस्टेरियल ड्यूटी पर होने से प्रवाचक ने आगामी तारीख दी है और इस दिनाक में बाद में काट-पीट कर तारीख को बदला जाना स्पष्ट परिलक्षित है । इस बदली दिनांक 24-3-01 को पहले आवेदक (इस न्यायालय में अनावेदक) को

अनुपस्थिति का उल्लेख करते हुए उसे तलब किए जाने का आदेश दिए हैं एवं दिनांक 3--4--01 नियत की है । किंतु इसी आदेश पत्रिका मे पुनश्चः लिखकर अनावेदक की उपस्थिति बताकर आवेदकों की ओर से सूचना पत्र का निर्वहन होने का उल्लेख करते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है और प्रकरण आदेशार्थ रखा गया है किंतु इस आदेश पत्रिका के मार्जिन में कोई हस्ताक्षर अनावेदक के नहीं है । इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही प्रथमदृष्टया ही शंकास्पद प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त चूंकि प्रकरण मे दिनांक 3--3--01 को पीठासीन अधिकारी नहीं थे और दिनांक को आगमी तिथि अधिवक्ता द्वारा दी गई थी ऐसी स्थिति में आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती थी । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं में जो कांट--छाट है और जो विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है इस संबंध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया है । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी का जो आदेश है वह विधिसम्मत नहीं माना जा सकता । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा उक्त तथ्यों को अनदेखा किया गया है, ऐसा लगता है कि अपर आयुक्त ने आदेश पारित करते समय अभिलेख को नहीं देखा गया है । अतः उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता । चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य हैं अतः प्रकरण में उठाये गये अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता नही है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे प्रकरण में विधिवत जांच कर मौके की स्थिति को देखते हुए एवं उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का विधिवत निराकरण करें ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर